

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT IMPORTANCE**  
**Death of Children recently due to malnutrition and starvation in**  
**Maharashtra**

MR. CHAIRMAN: Calling Attention, the matter of urgent public importance. Shri Sanjay Nirupam. ...*(interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, yesterday you have given an assurance that the Home Minister would make a statement.

MR. CHAIRMAN: He is making a statement, but not now. ...*(interruptions)*... He will make a statement today. This much I can say.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, my only request is that today being a Friday, it will be better if the Home Minister makes this statement now before one o'clock. I request through the Chair to the Home Minister, who is present in the House, if he is in possession of information he can as well apprise the House, and then there will be an opportunity for us..*(interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: I will try to send the message.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He is here.

MR. CHAIRMAN: That is right. Shri Sanjay Nirupam.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): महोदय, मेरी जगह संजय राजाराम राउत जी बोलेंगे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I am ready with the statement. Whenever I am asked to make it, I will.

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): इसमें एक प्रोसीजर का सवाल है। जिस दिन कॉलिंग अटेंशन मोशन रहता है। उस दिन कॉलिंग अटेंशन मोशन...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: हां, बाद में ले लेंगे। मैं ले सकता हूँ।...*(व्यवधान)*...

श्री नीलोत्पल बसु: उस दिन कॉलिंग अटेंशन मोशन को प्रिंसीडेंस दिया जाता है। अगर मंत्री जी शाम को भी उपलब्ध हैं और अभी भी उपलब्ध हैं तो शाम को इसे लेने में दिक्कत क्या है?

श्री सभापति: कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन के बाद हो जाए या अभी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

SHRI SANJAY RAJARAM RAUT (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, I thank you for having given me this opportunity. I call the attention of the Minister of Human Resource Development on the death of children recently due to malnutrition and starvation in Maharashtra...*(interruptions)*...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): सभापति महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 6.7.2004 (दिल्ली संस्करण) को प्रकाशित एक समाचार में यह बताया गया है कि लगभग एक वर्ष की अवधि में महाराष्ट्र के 15 जिलों में कुपोषण संबंधी कारणों से जनजातीय समुदाय के 6 वर्ष से कम आयु के 9 हजार से भी अधिक बच्चों की मृत्यु हो गयी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे) पीछसीन हुए।

इस समाचार में इस बात पर प्रकाश छला गया है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृत्यु के इन मामलों के विभिन्न कारणों के समय कम वजन, पीलिया, कन्वल्जन, हाइपोथर्मिया तथा समय पूर्व प्रसव शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इन पंद्रह जिलों में जनजातीय लोगों की संख्या अनुमानतः 66,85,880 है तथा इनमें 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 8,19,220 है। इन पंद्रह जिलों में अप्रैल तथा मई के दौरान बच्चों की मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया। जिससे यह पता चला कि यद्यपि इनमें से 11.41% बच्चों की मृत्यु समय-पूर्व जन्म के कारण तथा 16.15% बच्चों की मृत्यु जन्म के समय कम वजन के कारण हुई, जिनका संबंध माताओं के अल्प पोषण से है तथापि इन मामलों के अनेक अन्य कारणों में निमोनिया, जन्म के समय एस्फिक्सिया, कन्वल्जन आदि शामिल हैं जो कि कुपोषण से संबंधित नहीं हैं। मार्च, 2003 से अप्रैल, 2004 तक की अवधि के दौरान कुल 8291 बच्चों की मृत्यु का कारण केवल कुपोषण नहीं है।

कुपोषण की समस्या बहु-आयामी तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, पोषाहार, परिवार कल्याण तथा निर्धनता उपशमन के क्षेत्रों में सर्वांगीण एवं समन्वित कार्यक्रम के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अखिल भारत की तुलना में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I (1992-1993) तथा II (1998-99) के अनुसार अल्प-पोषित बच्चों (आयु के अनुसार वजन) का प्रतिशत इस प्रकार है:

अत्यधिक अल्पपोषित का प्रतिशत महाराष्ट्र में 1992-93 में 21.3 प्रतिशत और अखिल भारत में 20.6 प्रतिशत है। 1998-99 में 17.6 प्रतिशत और अखिल भारत का है 18 प्रतिशत। आंशिक रूप से एवं अत्यधिक अल्पपोषित का प्रतिशत महाराष्ट्र का 1992-93 में 54.2 प्रतिशत है और अखिल भारत का 53.4 प्रतिशत है। 1998-99 में महाराष्ट्र का है 49.6 प्रतिशत और अखिल भारत का है 47 प्रतिशत। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 94.9 प्रति हजार की तुलना में 58.1 प्रति हजार है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार महाराष्ट्र में वर्ष 2002 में शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय स्तर पर 64 प्रति हजार जीवित प्रसव की तुलना में 45 है। शिशु मृत्यु दर को 1995 में 55

से कम करके वर्ष 2002 में 45 तक लाने में राज्य को सफलता प्राप्त हुई है, जो कि यह दर्शाती है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे पोषाहार एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

पहला, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम;

दूसरा, 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति में सुधार करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक, योजना आयोग के द्वारा;

तीसरा, राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा;

चौथा, विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन के विरुद्ध राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा;

पांचवां, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा;

छठा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा;

सातवां, निर्धनता उपशमन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा;

आठवां, प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहारीय समर्थन कार्यक्रम, मध्यांतर आहार स्कीम, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा;

नवां, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा और

दसवां, अल्प-पोषित किशोरियों एवं गर्भवती व शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने हेतु 15 जिलों में प्रायोगिक परियोजना, योजना आयोग के द्वारा।

जहां तक महिला एवं बाल विकास विभाग का संबंध है, यह विभाग समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का संचालन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य पूरक पोषाहार, टीकाकरण, शाला-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ सेवाओं तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की समेकित सेवाएं प्रदान करके 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुओं माताओं का सर्वांगीण विकास करना है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसमें केन्द्र सरकार कार्यक्रम आयोजना एवं परिचालन लागत हेतु उत्तरदायी है तथा राज्य सरकारें स्कीम के कार्यान्वयन और अपने संसाधनों में से पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु उत्तरदायी हैं।

महाराष्ट्र में 62,683 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 370 स्वीकृत आई०सी०डी०एस० परियोजनाएं हैं,

जिनमें से 52,270 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 368 परियोजनाएं 31 मार्च, 2004 तक परिचालित कर दी गई हैं। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक-पोषाहार राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 40.56 लाख बच्चों तथा लगभग 6.09 लाख गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को प्रदान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस स्कीम द्वारा लाभान्वित बच्चों का प्रतिशत राज्य की कुल बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष) का लगभग 30 प्रतिशत है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर 22% है।

महिला एवं बाल विकास विभाग का खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड नाम स्कंध तथा राष्ट्रीय जनसहयोग बाल विकास संस्थान आईसीडीएस कर्मियों तथा आईसीडीएस कार्यक्रम से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को पोषाहार शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में अक्षमता एवं मृत्यु के मामलों में कमी लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं। राज्य ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए "नवसंजीवनी योजना" नामक एक अभिनव स्कीम तैयार की है तथा यह स्कीम 1 जून, 1995 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 12 स्वास्थ्य स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन स्कीमों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: चल चिकित्सा दल, मातृत्व अनुदान योजना, शिशु चिकित्सा आईसीडीएस की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भ-कक्ष तथा समय-पूर्व प्रसव की स्थिति में देखभाल के लिए थर्मोकोल बक्सों की आपूर्ति, जनजातीय, पर्यतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों आदि में 250 नई एम्बुलेंसों का प्रावधान, दिहाड़ी की क्षति हेतु मुआवजा आदि। राज्य में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में नवजीवन योजना के अंतर्गत 15 चयनित ब्लॉकों में अतिरिक्त पोषाहार प्रदान करके जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

श्री संजय राजाराम रावत: महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें सब महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं फेल हो गई इसलिए बच्चे मर रहे हैं। एक साल में दस हजार बच्चे मर गए हैं और सिर्फ दो महीने में तीन हजार बच्चे मर गए हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई है तो केन्द्र की जिम्मेदारी क्या है? क्या केन्द्र के पास ऐसी कोई योजना है जो इन बच्चों को बचा सके? महाराष्ट्र सरकार यह कहती है? The Government says, it is less than two per cent of the tribal child population. जो डेथ हुई है तो मरने की परसेंटेज की क्या बात है? कितने परसेंट मरने के बाद केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार इसके उपाय की कोई योजना बनाएगी? मरने में क्या परसेंटेज होता है? जब छोटे बच्चे मरते हैं तो उसमें परसेंटेज की बात कैसे आती है? And, is there any kind of monitoring system developed by the Centre or working at the Centre in such cases.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि खुशनुमा अहसास और चमकते भारत के सम्मोहन के जादुई संसार से हटकर विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने यथार्थ भारत से रूबरू होने का साहस जुटाया है। उपसभाध्यक्ष जी, उनकी इस चिंता में मैं खुद को शरीक करती हूँ। महाराष्ट्र जैसे विकसित और भारत की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले प्रदेश में, इस तरह की मौतें निस्संदेह हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि विकास का यह कैसा चेहरा है? क्या विकास के इस चेहरे से आपके सामने और हम सबके सामने कई प्रश्न खड़े नहीं होते हैं? महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी और माननीय मंत्री जी से यह पूछना भी चाहूंगी कि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, जिन्हें मैं विशेषकर पढ़कर सुनाना चाहूंगी। जिस पर मुझे बहुत सी आपत्तियाँ हैं कि सोच का यह कौन सा दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण को हम विकसित कर रहे हैं? इसमें कहा गया है कि कुपोषण की समस्या बहुआयामी तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है। महोदय, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि कुपोषण की समस्या बहुआयामी हो सकती है लेकिन यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या के रूप में इसको चिन्हित करके क्या हम इसे जेनेटिक बीमारी के रूप में जानना चाहते हैं? मुझे प्रेम चन्द जी की 'सवा सेर गेहूँ' नामक कहानी याद आती है कि सवा सेर गेहूँ चुकाते-चुकाते उसकी चार-चार, पांच-पांच पीढ़ियाँ खप गई, लेकिन वह सवा सेर गेहूँ का उधार कभी पूरा नहीं कर पाया। इस तरह का यह दृष्टिकोण है। मैं समझती हूँ कि हमारी माननीया मंत्री जी इस पर गौर फरमाएंगी। इसको पीढ़ी-दर-पीढ़ी समस्या बताकर, इसको पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला रोग बताकर हम वास्तविक समस्या से आंखें चुरा रहे हैं और जो अन्याय चल रहा है, उसी को हम एक तरह से वैधानिकता भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे अधिक बच्चे कुपोषण से मरते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इसको दक्षिण एशिया का रहस्य कहकर चिन्हित किया गया है। क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में 53 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और हर दलित बच्चा, क्योंकि महाराष्ट्र के जिन जिलों में कुपोषण से ये मौतें हुई हैं, दलित गाँव हैं और हमारा यथार्थ यह है कि हमारी आबादी में, जो दलित बच्चे हैं, अगर हर दूसरा दलित बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो मंत्री जी क्या आपको उन इलाकों को चिन्हित करने की जरूरत नहीं है? क्या पिछले वर्षों में, पिछड़े इलाकों में हमने इस सच्चाई को महसूस नहीं किया कि जब हमें बताया जा रहा था कि भारत शाइन कर रहा है, दूध-दही की नदियाँ बही जा रही हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, उस समय हिंदुस्तान के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, हिंदुस्तान के लोग भूख से मर रहे थे? क्या उस समय हिंदुस्तान से सस्ती दरों पर अनाज बाहर के देशों को निर्यात नहीं किया गया? उपसभाध्यक्ष जी, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हमारे देश में पहले लोग भूख से मरते थे, क्योंकि पूर्ति नहीं होती थी, और अब हमारे देश में इसलिए भूख से मरते हैं कि भांग नहीं है? उपसभाध्यक्ष जी, पूर्ति का तर्क समझ में आता है कि हम उत्पादन करने में अक्षम थे, हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन

जहां भंडार भरे हुए हैं, हमारे गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं और हमारी पिछली सरकार गर्व से यह कहते हुए थकती नहीं थी कि साहब, हमारे गोदाम अनाजों से बिलबिला रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, उन गोदामों के रख-रखाव में पिछली सरकार ने कितने करोड़ रुपये खर्च किए और सूखे से प्रभावित उन जिलों को, जहां भूख से मौतें हो रही थीं, वहां पर कितना अनाज...(व्यवधान)...महाराष्ट्र में ... (व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया (झारखंड): चूहे खा रहे हैं ...(व्यवधान)... पश्चिम बंगाल में छिपकली खा जाते हैं...(व्यवधान)... चूहे खा जाते हैं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे): ठीक है...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आप सुनिए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे): सरला जी, आप जो आगे पूछना चाहती हैं, उसे पूरा कीजिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: वही पूछ रही हूँ ...(व्यवधान)...उपसभाध्यक्ष जी, मैंने अपनी आवाज में ...(व्यवधान)...बात नहीं कही है ...(व्यवधान)... अगर सच्चाई आंखों में चुभती है ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, अगर उस समय सच्चाई से रू-बरू हुए होते ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे): मेरा सभी से आग्रह है कि सरला जी को अपना क्लैरिफिकेशन पूछने का समय दें ...(व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया: पश्चिम बंगाल में ...(व्यवधान)... आदिवासी लोग ... (व्यवधान)... छिपकली खाते हैं, चूहे खाते हैं ...(व्यवधान)...सांप खाते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं उस पर भी बोलूंगी।

श्री बलबीर को० पुंज (उत्तर प्रदेश): सभापति जी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे): बलबीर जी हो गया ...(व्यवधान)... हो गया ...(व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया: अमरीका में ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे): अहलुवालिया जी...(व्यवधान).. उनको पूरा करने दीजिए...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): दो सालों में आपने क्या किया ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत ठर्फ बाल आपटे): जीवन राय जी, सरला जी को पूरा करने दीजिए...(व्यवधान)...सरला जी, आप शुरू कीजिए...(व्यवधान)...हो गया...(व्यवधान)... आप शुरू कीजिए...(व्यवधान)...आपको क्लैरिफिकेशन पूछना है तो पूरा कीजिए, नहीं तो मैं आगे जाऊं.....(व्यवधान)..... जीवन राय जी हो गया है .....(व्यवधान)..... अब उनको बोलने दीजिए .....(व्यवधान)..... आप उनको बोलने दीजिए .....(व्यवधान)..... जीवन राय जी, उनको बोलने दीजिए .....(व्यवधान).....

श्री एस०एस०अहलुवालिया: सभापति जी, चूहे खा जाते हैं.....(व्यवधान).....

श्री जीवन राय: आराम से सुनिए.....(व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत ठर्फ बाल आपटे): एक मिनट, गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं .....(व्यवधान)..... सरला जी.....(व्यवधान)..... अहलुवालिया जी ..(व्यवधान)... गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं ..(व्यवधान)... जीवन राय जी, गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप बैठिए.....(व्यवधान).....आप बैठिए, आप बैठिए.....(व्यवधान).....

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): सर, मैं इस विषय पर कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं तो स्टेटमेंट करने के लिए आया था, मगर शायद यह चर्चा बहुत देर तक चलने वाली है, इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं दो बजे तक आकर स्टेटमेंट कर दूँ?

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत ठर्फ बाल आपटे): अध्यक्ष जी ने शायद व्यवस्था यह दी है कि आप इस विषय के तुरंत बाद यहां स्टेटमेंट करने वाले हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल: अगर एक बजे तक यही विषय चलने वाला है ... (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: मंत्री जी, यह महाराष्ट्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कम-से-कम आप भी यहां रहें।

श्री शिवराज वी० पाटिल: आप यहां हैं।

श्री संजय निरुपम: लेकिन सरकार में तो आप हैं।

श्रीमती सरला माहेवरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी अवांछनीय बात नहीं कही है। वहां इतनी गंभीर स्थिति है कि बच्चों की कुपोषण से मौतें हो रही हैं। अब अगर आप को कहीं भी लगता है कि धीरे बातें गलत हैं तो कृपया आपको जब मौका मिले तो आप जरूर कहिए, लेकिन यह राजनीति का मसला नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बलवंत ठाकूर बाल आपटे): अब वह विवाद नए सिरे से शुरू मत कीजिए। आप अब अपना कथन पूरा कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, मैं कह रही हूँ कि जब आप राजनीति में आते हैं, सरकार चलाते हैं तो सरकार की नीतियाँ क्या हैं और उन नीतियों का देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वह निश्चित रूप में, चाहे आप पक्ष में हों या विपक्ष में हों, आप की आलोचना का विषय बनता है और मैं उसी को आलोचना का विषय बना रही हूँ।

[श्री सभापति पीठसीन हुए]

श्री सभापति: डा० पी० सी० अलेक्जेंडर।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैंने तो अभी सवाल पूछने शुरू किए हैं।

श्री सभापति: आप को बोलते हुए बहुत देर हो गयी, आप एक example create कीजिए क्योंकि आप को इस चैयर पर आकर बैठना है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानती हूँ। मैं उनके अधिकार को छीनना नहीं चाहती, लेकिन...

श्री सभापति: बोलिए, आप बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह इस विषय को चर्चा के लिए यहां लाए और उसी क्रम में मैं अपने विचारों को रखना चाह रही हूँ। महोदय, मेरे कुछ विचारों पर उनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे बोलने न दिया जाएगा।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह सत्य है कि रिजर्व बैंक ने अपने 2000-2001 की रिपोर्ट में यह उल्लिखित किया है कि पिछले वर्षों में भारत में अन्न भंडारण में तीन गुना वृद्धि हुई है। लेकिन खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 458.6 ग्राम रह गयी और क्या यह सच है कि यह जो अन्न की उपलब्धता का आंकड़ा है वह दूसरे विश्व युद्ध से भी कम बैठता है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उद्धारकरण के इस दौर में जब तमाम क्षेत्रों में लाइसेंसों को विलुप्त किया जा रहा है, उस समय एक गरीब को यह बताने के लिए कि वह गरीब है प्रमाण-पत्र की जरूरत होती है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि .....(व्यवधान).....

श्री एस् एस् अहलुवालिया: आप कल के बजट भाषण को सुनिए। बजट में बार-बार दरिद्र को दरिद्र कहा जा रहा है.....(व्यवधान)..... आप हर बार उस को याद दिलाएं कि तुम गरीब हो ...(व्यवधान)... आप उनके सहयोगी दर्ल हो.....(व्यवधान).....

श्री सभापति: सरला जी, अब आप जल्दी समाप्त करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, जल्दी समाप्त कैसे करूँ? मुझे तो बार-बार रोका जा



रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। .... (व्यवधान).... सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि गरीबी को बताने के लिए, कि अमुक व्यक्ति गरीब है, जो पैमाने हमने तय किए हैं क्या वे पैमाने मानवता के न्यूनतम आधारों पर भी खरे उतरते हैं? क्या उन आधारों की पुनर्व्याख्या करने की जरूरत नहीं है? सभापति महोदय, मेरा तीसरा सवाल है...

श्री सभापति: मत करो ज्यादा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, यह भूख का सवाल इतना बड़ा है कि इस भूख के आगे और कोई बड़ा सवाल नहीं हो सकता। इसलिए भूख सबसे बड़ा सवाल है। "बभूक्षितम किम न करोती पापम।" इसलिए यह भूख का सवाल सबसे बड़ा सवाल है।

सभापति महोदय, मेरा तीसरा सवाल है कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले दिनों, पिछले अरसे में, हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बिस्कुल ध्वस्त कर दिया गया था और मैं यह जानना चाहूंगी कि हमारी सार्वजनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तथा इसको सार्वजनिक बनाने के लिए आप क्या विचार कर रही हैं?

सभापति जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि अभिजीत सेन कमेटी ने हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो अनुशंसाएं की थीं, क्या आपकी सरकार उन अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए सहमत है या उन पर क्या कोई विचार करने के बारे में सोच रही है? सभापति जी, आपका दबाव है और मैं आपके दबाव को समझ रही हूँ....

श्री सभापति: दबाव नहीं, मेरा आग्रह है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो यह कुपोषण की घटनाएं घटी हैं, बच्चों की मौत की, वे बहुत ही चिंतनीय हैं और मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि सिर्फ इस आधार पर कि कुपोषण की यह समस्या बहुस्तरीय समस्या है, आप कृपया उन इलाकों को चिन्हित करें और राज्य सरकार को भी यह निर्देश दें कि वह उन इलाकों को चिन्हित रखे, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां विकास की एक किरण भी नहीं पहुंची है, उन आदिवासी क्षेत्रों की क्या स्थिति है, उस स्थिति का मुआयना करके एक रिपोर्ट तैयार करें और पूरे भारत के स्तर पर इस तरह के इलाकों को चिन्हित करके आप काम करें। धन्यवाद।

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on this subject. I should say that I am totally disappointed by the statement that has been made by the Minister, which I have carefully read through. The first paragraph says, "there are a variety of factors including low birth weight, jaundice, convulsions, hypothermia and premature delivery responsible for these deaths". If I may say so, with all respect to the Minister this is just begging the question, not answering

[9 July, 2004]

RAJYA SABHA

the question. You said that so many children, 9,000, had died in a year due to malnutrition. The Statements tantamounts to saying that malnutrition is the cause for the death of the children. I should also point out that all those things listed in the statement, to which I listened with great attention, have little relevance to the villages concerned and, particularly, the tribal population in these villages. They are all right for areas where other social welfare measures are successful or have the potential to become successful. If you visit gadchiroli and Melaghat villages, as I have done on several occasions, you will come to the conclusion that these villages deserve a special strategy, a new approach, different from the strategy that has been followed in other villages, even in other tribal areas.

Sir, hamlets in these districts are situated at long distances. There are no roads; there are not even Kachcha roads. No public health service is operating in these areas because of the sheer lack of connectivity. The purchasing power of the people is very low because they have been prohibited from pursuing their time-honoured farming operations for which the Central Government is responsible. Several representations have been made by the State Government to the Central Government to relax the rules about forests, at least, in these very badly and critically affected areas of Gadchiroli and Amravati districts. But the Centre has been taking a very rigid attitude as far as forest villages are concerned. The Tribals are not allowed to farm. They are not allowed to carry on their traditional activities. They have practically no income at all. To talk about a large number of child welfare schemes that are being implemented all over the country and to list them out saying that 'this is what we are going to do for children all over India', is no answer at all. Therefore, what I would respectfully suggest to the hon. Minister is to handle this subject in a coordinated manner or take the lead to handle this subject in a coordinated manner in which a number of Departments at the Central level will have to be involved. It is not a matter which the Ministry of Human Resource Development alone can tackle. In fact, they cannot tackle it at all. Unless you create purchasing power for the people there, unless you build roads there, unless public distribution centres are opened there and unless public distribution personnel travel to these areas with foodgrains at regular intervals, all that you will attempt to do today, will be like saying that there is a bandage for cancer. This is a very half-hearted attempt to meet the problem that has been created in these areas. A new strategy is called for. I wonder why the Ministry of Human Resource Development should have been answering

this question. This should have been answered by the Ministry which is responsible for the welfare of the Tribal areas in general and some of these areas with special problems in particular. Thank you.

**SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal):** Mr. Chairman, Sir, my clarification or question relates to a follow up of what Dr. Alexander has just now said. This is a problem. We must ask ourselves, "Why the maximum number of deaths are of the Tribal children?" This is a case which has come up in Maharashtra. Last year, we had discussed about similar cases in Orissa. Just a few months ago, there were similar cases in West Bengal. There are reports of deaths of children in a hospital in Delhi. What is the reason for this that we have been singled out for this curse which never seems to leave us? I fully agree with Dr. Alexander and support him fully. This is an apprehension that has been expressed after the General Budget that so much money which is being given for rural development, will it ever get to the people for whom it is intended? The Tribal areas seem to be the common focus of misery and affliction in every State in the country. What is the reason for that? What strategy is being worked out? Now we are talking of—just diverging from this particular point—Special Economic Zones. Should we not have special development zones focused on these areas with a multi-agency effort being put in to alleviate the sufferings of such areas? Sir, 9000 Tribal children have died! We just are not aware of it. We dismiss it. Even if one child dies or one person dies, it is too much. But 9000 children have died. It has come out by accident! The hon. Minister has said that this is a problem which is going on for generations. I agree. But to say that it is a problem which is going on for generations and the Government is doing so many things, is not enough. The Government is doing things. I am not saying that the Government is not doing anything, whether this Government or the previous Governments. Money is being spent. But where is that money going? I urge the Government to take steps to develop the Tribal areas not only in Maharashtra but in all other States where incidentally it is no co-incidence. Gadchiroli and Melghat in Maharashtra; Koraput and Bolangir areas in Orissa; our own Midnapore and Purulia in West Bengal and Adilabad in Andhra Pradesh, all have got a Naxalite problem. Why it is so? I think, in the interest of the nation, the Government must make a special effort to designate these areas as special development zones and develop suitable mechanisms to ensure that inputs are provided to the Tribal population in all these States. Thank You .

श्रीमती सुपमा स्वराज (हरियाणा) : सभापति जी, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न की ओर श्री संजय राउत जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। किन्तु मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार की ओर से एक संवेदनशील उत्तर के बजाए, हमें आंकड़ों का भ्रमजाल और एक तीन पन्नों का विस्तृत वक्तव्य दिया गया है। इन तीन पृष्ठों के वक्तव्य में जो बात कही गई है, अगर आप उसकी ओर ध्यान दें तो इसमें कहा है कि 8291 बच्चे, जो मार्च, 2003 और अप्रैल, 2004 के बीच मरे, केवल कुपोषण ही उनकी मौत की वजह नहीं है। केवल कुपोषण ही मौत की वजह नहीं है तो और कौन से कारण मौत की वजह हैं? तो कहा गया है कि कई बीमारियां लो बर्थ रेट, जॉडिश, कंवल्शन, हाइपोथर्मिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदया से कि क्या उन बीमारियों का सीधा संबंध कुपोषण से नहीं है? लो बर्थ रेट क्यों होता है? जन्म के समय बच्चे का वजन कम क्यों होता है, इसलिए कि मां को पूरी खुराक नहीं मिली, इसलिए उसको गर्भ में पूरी खुराक नहीं मिली, इससे वह बच्चा कम वजन का होता है। सभापति जी, क्या यह भी मंत्री महोदया को बताना पड़ेगा कि तंदुरुस्त बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसलिए उसके पास पहले बीमारी आती नहीं, पर वह आती है तो बीमारी को झेल लेता है। यह केवल कुपोषण से ग्रस्त कमजोर बच्चा है जो बीमारी झेल नहीं पाता और जिसे बीमारी आती भी बहुत है। उसकी भी जड़ में कुपोषण है। बीमारी एक लक्षण है, उसके कुपोषण का। बीमारी कारण नहीं है? कारण कुपोषण है, कारण मालन्यूट्रिशन है, कारण उसको खुराक का नहीं मिलना है। इसलिए जितने कारण मैंने इसके अंदर गिनाए हैं वे वक्तव्य का एक-एक पन्ना पढ़ती चली जाएं तो उन्हें पता चलेगा कि जितने कारण कुपोषण के वे गिना रही हैं उन सारे के सारे की जड़ में भी माल-न्यूट्रिशन है, खाने की कमी है, खुराक की कमी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चीजें उन्होंने यहां गिनाई हैं, 10 योजनाएं दिखाई हैं, उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है। ये योजनाएं चल रही हैं हम सब जानते हैं। मिनिस्ट्री की वकिंग की रिपोर्ट जब हम यहां पढ़ते हैं तब भी इन योजनाओं का जिक्र होता है। सभापति जी, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि योजनाएं कितनी चल रही हैं, महत्वपूर्ण यह है कि योजनाएं कैसी चल रही हैं। केन्द्र राशि देता है, धन देता है, योजनाएं राज्य सरकारें चलती हैं। चाहिए तो यह था कि आप हमारे सामने यह लेकर के आतीं कि इन योजनाओं का संचालन कैसा हो रहा है, क्या इन योजनाओं के संचालन में कोई कमी है, क्या ये योजनाएं अव्यवहारिक हैं, क्या उन योजनाओं में धन का अभाव है, क्या कारण हैं। बस मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि इन तमाम योजनाओं के चलते हुए भी बच्चों की मौत क्यों हो रही है? इन तमाम योजनाओं के चलते हुए भी मेरे देश के बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हो रहे हैं? एक राज्य में नौ हजार बच्चों की मौत और वह भी ट्राइबल बच्चों की मौत और अभी जिक्र कर रहे थे अहलुवालिया जी और जिसका जिक्र शंकर राय चौधरी जी ने भी किया। अभी पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर की चीज हमारे सामने आई। शर्म से मर जाना चाहिए हम लोगों को कि हम स्वयं को सभ्य नागरिक कहते हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन जहां पर लोग सांप खाने को मजबूर होते हैं,

सपेले खाने को मजबूर होते हैं, छिपकली खाने को मजबूर होते हैं और हमारे देश का एक मंत्री खड़ा होकर यह कहता है कि वे कैसे भूख से मर सकते थे, आदिवासी तो खाता ही चिकन है। ....(व्यवधान) तमाम का एक आकलन करके आप सदन को बताइए कि इन योजनाओं के संचालन में कौन सी कमियां हैं कि इन तमाम योजनाओं के होते हुए भी बच्चे मर रहे हैं और कुपोषण से मर रहे हैं और जितने अन्य कारण आपने बताए हैं उन सब के कारण की जड़ में भी कुपोषण है इसको स्वीकार करिए, मंत्री महोदया, इस बात की अनदेखी मत करिए। यह कह कर बरी मत हो जाइए कि कारण केवल कुपोषण नहीं है। गरीबी और कुपोषण का सीधा संबंध है, कुपोषण और बीमारी का सीधा संबंध है। इन संबंधों की चेन को, श्रृंखला को, अगर आप तोड़ने का काम करेंगी तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही मुझे सभापति जी के माध्यम से आपको कहना है।

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। व्यवधान कुपोषण से मरे हैं, यह तो आप मानते हैं, ... (व्यवधान)... Please take your seat, (*Interruptions*) Dr. M.S. Gill.

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सर, इंडिया शाइनिंग है। महाराष्ट्र इंडिया से बाहर है क्या? (व्यवधान) सर, महाराष्ट्र, बंगाल में इंडिया शाइनिंग है। ... (व्यवधान)...

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, this is a very sad question and it deserves very grave consideration. I have to say with all honesty that this is one thing which we can take beyond political parties. It is a sad fact of India, not of today, but of decades and decades that malnutrition of women and children and tribals, above all, is one of the sad answers we cannot give to the World Development Reports. Therefore, this is a grave matter on which we need not score points on each other. This Government has only come in; that Government has been there; there had been plenty of Governments before that, and sadly and cruelly this statement is in one way correct in saying that it is inter-generational or decade to decade. So, it is over many decades. But, it is a heartless statement. It is not something which frankly the HRD Ministry can deal with or should have given by all themselves. The honourable senior Minister, Shri Arjun Singhji is here, and I particularly want to bring this to his attention because malnutrition is something we have known over decades and decades. We have tried various schemes, a long list of schemes is given, but obviously, there is plenty lacking, and not just in Maharashtra. There are 9000 children in one State. Take the average of the country, and tribals always suffer the most. I know it, I personally have a lot of contact with tribal people, and it is very sad what happens to them. The environmental laws that we have made in a very rigid way—I go to forests- I have other interests - blocked these

people, as the ex-Governor of Maharashtra was saying. Sir, everything in this country under laws which is made even for benefiting the people is so centralised that an answer never gets to Uttaranchal and Almora. We have been in the forests, and the local people told me that it is not possible to even do the minutest thing till it goes to Delhi and back in a hundred years. Therefore, Sir, it is a very grave matter. The statistics are frightening. India's record of child mortality is one of the worst in the world. Even taking the poor and developing countries around us and near us, we are worse than some of them, if you read those reports. This needs to be looked at seriously; it needs to have better schemes; it needs to have greater focus, greater funds and it needs a multi-Ministry approach or something which Shri Arjun Singhji alone has the authority and the strength, perhaps, to put together. I would appeal to the Minister to look at this in this fashion; not to simply give a bureaucratic justification which sadly was very, very cruel.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): At the outset, my heart goes to those children who have died due to starvation and malnutrition not only in Maharashtra, but also in other parts of the country. I wholeheartedly congratulate my colleague, Shri Sanjay Nirupam, for calling the attention of the Government on an important issue like this. I thank you, Mr. Chairman, Sir, for having given me an opportunity to speak on this subject which is very crucial and important because it is directly linked to the future of our country because India's future, children, are starving, malnourished and dying like guinea-pigs. It is very difficult for me to concentrate only on the deaths that took place in Maharashtra because it is not only in Maharashtra but poor children in other States are meeting with the same fate.

So, with your permission, I wish to express my views on the problem as a whole. Sir WHO defined malnutrition as, "The cellular imbalance between supply of nutrients and energy and the body's demand for them to ensure growth, maintenance and specific function." Hunger or starvation has been described as, "A condition in which people lack the basic food intake to provide them with the energy and nutrients for fully productive lives." And, Sir, hunger continues to grow in India and this leads to malnutrition and starvation deaths in the country. Look at the statistics. They themselves will speak of the truth. Of the 860 million people starving in the world, Sir, this includes children, who go to bed without food, one-

third are from India. This is despite our having more than 60 million tonnes of foodgrains stocked in our godowns. We are not giving those to our poor people. Instead, we are allowing them to rot. Why? Who is responsible for this? Who is responsible for the death of these innocent children? Are we not responsible? Yes. The politicians are responsible. The bureaucracy is responsible. The system is responsible. And, we are the cause of hunger. We are the cause of malnutrition. We are the cause for starvation deaths that are taking place in different parts of the country. The Government of the day which controls and have the reins in its hands is responsible for this. I don't wish to pinpoint any State because these types of incidents are taking place in every nook and corner of the country. Look at the National Institute of Nutrition's norms with regard to intake of cereals. According to NIN, a minimum of 157kg. of cereals per year, per capita is required. This has fallen to 131 kg. per year. Same is the case with pulses.

This is only an iota of statistics that I am placing before the House. Sir, again it is not a question of statistics, but it is a question of why such things are happening and why are we, time and again, failing to prevent starvation deaths of innocent children in the country. I agree that object poverty is one of the reasons. But, why people should be in poverty when we have such a huge stock of foodgrains? Why should people be in poverty when we have excellent poverty alleviation programmes? We have programmes for the weaker sections of the society. We have a beautiful programme of Food for Work. We have ICDS. We have a programme which assures 100 days of work in a year. I beseech the hon. Minister to understand the gravity of the problem and generously release foodgrains and take measures in coordination with the health Ministry to provide nutritional supplements such as Iodine, Vitamin A, D, Iron and Zinc to the poor children.

Sir, inadequate sanitation further endangers children by increasing the risk of infectious diseases that increases the nutritional loss and metabolic demands. I would also like to suggest to the hon. Minister to lay emphasis, in coordination with the Health Ministry, on prenatal nutrition and good prenatal care. No doubt, we are giving emphasis on breastfeeding, but we are failing to percolate this message down under. The healthcare providers should emphasise the importance of breastfeeding, particularly in the first year of child's life, since this is the stage from which we have to concentrate on nutritional needs. Surveys also show that education

[9 July, 2004]

RAJYA SABHA

plays a crucial role in reducing malnutrition in children. Education for women is good in many ways. They, then, often marry late, get less children, have the self-confidence, skills and information to become good mothers who know about the nutritional levels. Another suggestion is this. If a Ministry can be set up for Disinvestment, another for Information Technology and Food Processing, there is no reason why we cannot set up a high-ranked Task Force with a 'clear-cut mandate of removing hunger and malnutrition in the country.

So, Sir, hunger is not a curse that some among us have to live with. Hunger is a reflection of our misplaced emphasis towards growth for a few. The hungry do not need our sympathies. They need a helping hand, and they can do the rest.

Thank you, Sir.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I extend my thanks to you. The matter is of grave concern to all of us cutting across political-line. I am thankful to the respected Shri P.C. Alexander, because he happened to be the Governor of Maharashtra. I too belong to Maharashtra, Amaravati district. The problem doesn't relate to the Human Resources Development alone, it has so many other angles.

Sir, all the villages, wherever tribal population is there, they are not connected to either the main road or even to the village road. The Maharashtra Government is very keen and sincere, and they have sent several reminders to the Government of India for relaxing the forest norms for the past so many years. Because of flimsy restrictions of the Forest Ministry, many developmental projects, many link roads are not completed despite the fact that the Maharashtra Government are very sincere and serious too.

So, I would like to bring this to the notice of the hon. Minister and request him --hon. Minister is a respected politician -- that he may draw the attention of the Forest Ministry to the fact that at least in the forest areas where there are no link roads, no villages roads or no main roads, these norms are relaxed in the Forests Act. The second thing that I would like to submit is that I agree with Sarla Maheshwariji that criteria for preparing below poverty line list are to be altered. The criteria fixed for 'Below Poverty Line' are useless. Sir, I have surveyed various Gram Panchayats, where this list is prepared by the DRDA and the Gram



Panchayats and you find that poor people are not included in the list of 'Below Poverty Line'. They are shown as 'Above Poverty Line'. Many rich people are shown below poverty line in the list. Sir, through you, I request the hon. Minister, Shri Arjun Singh, that he should find a way how to fix up the criteria for 'Below Poverty Line' particularly in relation to all the programmes of the DRDA. Criteria for 'Below Poverty Line' have to be fixed. Whatever benefit is supposed to reach poorer people, that benefit is going to the richer people. Poor people are being deprived of this advantage. These are some of the reasons for malnutrition and starvation. I do want to draw the attention of the hon. Minister in this respect. Thank you.

**SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala):** Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Calling Attention. Sir, I am here only just to make a simple request to the hon. Minister. As of now the HRD Ministry is under a very erudite and well-experienced leadership of Shri Arjun Singhji, I request the hon. Minister to come forward with a broad policy on children because there are many, many problems attached with the problems of the children throughout the country. There is lack of education. There are problems like new diseases, child labour, etc. There are many problems, which we have discussed in this House on many occasions. Some of these problems are very grave and deserve a very serious and urgent attention of the country and the Government. I request the hon. Minister to come forward with a broad policy on children so that all these things can be addressed and all those associated problems are looked into. Thank you.

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, इस बयान की शुरुआत ही बहुत दोषपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समाचार को क्वोट किया है। दिल्ली के लोगों को 6 जुलाई को यह सब जानकारी मिली लेकिन मुम्बई में पिछले दो महीने से विभिन्न आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चों की मौत हो रही है कुपोषण से, ये खबरें छप रही हैं। डॉ॰ अभय बंद एक बहुत ही फेमस समाज सेवी हैं। उनको महाराष्ट्र सरकार ने ऐपॉइंट किया था पूरा इनवेस्टिगेशन करने के लिए, सर्वे करने के लिए। उन्होंने दो महीने पहले रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग छः-सात सौ बच्चे आदिवासी जिलों में कुपोषण के कारण मर रहे हैं। यह रिपोर्ट भी दो महीने पहले आई थी। हमारा दुख और हमारी चिंता यह है कि इतना सारा कुछ सामने आने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार आज भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रकरण को गंभीरता से तब लिया जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई और उस खबर को लेकर कोई एक समाजसेवी व्यक्ति भी आईएल लेकर मुम्बई हाई कोर्ट में जब गया तब कहीं महाराष्ट्र सरकार

के कान पर जूँ रेंगी। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र शासन की इस संवेदनहीनता और कंप्लीट, टोटल नकारेपन की निंदा करता हूँ और माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम भेजी जानी चाहिए। आपने बताया, दस-दस हजार योजनाएं आपने गिनाईं। बिल्कुल, ये योजनाएं कागज़ पर हैं लेकिन ये योजनाएं सही मायने में लागू हो रही हैं या नहीं? अगर ये योजनाएं सही मायने में लागू हो रही हैं और जो टारगेटेड ऑडियन्स है हमारा, जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं, अगर उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं तो बच्चे मरे क्यों? इसलिए मैं मंत्री महोदया, आपसे इन योजनाओं के इम्प्लिमेंटेशन की जांच के लिए निवेदन करूंगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इन योजनाओं को बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया और केन्द्र सरकार की तरफ से जो पैसा भेजा जा रहा है, उस पैसे का सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका तत्काल मुझे आश्वासन चाहिए वरना मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ हम सब, पूरा विपक्ष वाक आउट करके इस सदन से निकल रहे हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): सर, .... (व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: अब मंत्री महोदय खड़े हो गए हैं। .... (व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: इसके बाद मंत्री महोदय जवाब दे देंगे।

श्री सभापति: एक मिनट आप बैठ जाएंगे, नए मेम्बर हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा संजय निरुपम जी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की तो संवेदनहीनता है ही, केन्द्र सरकार ने भी उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है। यह जो जवाब आया है, यह इस बात का द्योतक है कि मात्र उस बात पर केवल सीपापोती की जाए, उसको किसी भी दृष्टि से, उपचार करने की दृष्टि से, सरकार को समझाने की दृष्टि से प्रयत्न नहीं किया जाए।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं उदाहरण केवल इसलिए देना चाहता हूँ कि....

श्री सभापति: स्टेटमेंट तो देख लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: कृपया एक मिनट। टाइम्स आफ इंडिया में यह दिनांक 6.7.2004 का यह वक्तव्य है उसमें यह कहा गया है कि जो सर्वे किया गया, वह अप्रैल और मई में किया गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जून में कितनी डेथ्स हुई हैं, क्या यह बताया नहीं जा सकता था? मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूँ कि यह जो नीचे तालिका

दी गई है, a comparison between 92-93 and 93-94 यह बड़ा स्ट्रेंज विषय है। इस तालिका में देकर क्या यह साबित करना चाहते हैं कि 1991-92 की जगह 1998-99 ठीक स्थिति है? What is the problem in May-June, 2004? होल ऑफ दि इयर में इतना हो गया इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें, वक्तव्य के माध्यम से केवल लीपापोती न करें और उपचार करने की दृष्टि से प्रयत्न करें और कुपोषण को निश्चित रूप से बंद करें यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। माननीय मंत्री महोदय।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): परम आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आदरणीय सदस्यों से इस बात के लिए निवेदन करूँगा कि वे इस प्रकार की धारणा अपने मन में स्थापित न करें कि इस महत्वपूर्ण विषय को हम किसी प्रकार की संवेदनहीनता से लेना चाहते हैं। यह सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह अकेले एक विभाग को उत्तर देने के लिए शायद जिम्मेदार नहीं कर सकते। यह बात सही है कि इस समूचे प्रकरण के बारे में दो-तीन विभागों से संबंधित कार्यप्रणाली और उनकी जिम्मेदारियाँ, एक नजर से ही देखी जानी चाहिए। तभी हम सम्पूर्ण विषय पर जा कर विचार कर सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में मेरा आप से यह निवेदन है कि यह आँकड़ों का जाल इस बात का उत्तर नहीं है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम केवल तर्क और आरोप-प्रत्यारोप के द्वारा भी इसका हल नहीं कर सकते हैं। इसका उचित हल यही है कि जो भी अनुभव और जो भी हमारी जानकारी है, सम्पूर्ण शासन की, एक विभाग की नहीं, उसको हम समन्वित दृष्टिकोण से देखें और जो यहाँ पर होना चाहिए, उसको इंगित करें। फिर उसको करने के लिए हम क्या एक साथ कर सकते हैं। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि लोक सभा और राज्य सभा के सम्मानित सदस्यों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्र का, उनके द्वारा एक प्रकार से स्वाभाविक नेतृत्व होता है। उस नेतृत्व का भी इस विषय के अंदर पूर्ण रूपेण जब तक हम केंद्रित नहीं करेंगे तब तक इमप्लीमेंटेशन में सही दिक्कत आएंगी।

हम शायद उससे रुबरू नहीं हो सके। इस प्रश्न का उत्तर देने में किसी आदरणीय सदस्य के मन में, यदि कहीं इस प्रकार का क्षोभ हुआ हो कि हम इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या हम इसे हल्केपन से निपटाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और विभाग का यह कतई इरादा नहीं था..... (व्यवधान)....

श्री संजय निरुपम: नहीं, हमको क्षोभ नहीं है, राज्य सरकार का इरादा बिल्कुल यही रहा..... (व्यवधान)....

श्री सभापति: बोलने दीजिए..... (व्यवधान)....

श्री संजय निरुपम: पिछले दो महीने से जानकारियां दी जा रही हैं लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है... (व्यवधान)... राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार वहां बयान जारी कर रही है... (व्यवधान).... यह दूसरे प्रकार की संवेदनशीलता है...(व्यवधान)....

श्री सभापति: उन्हें बोलने दीजिए... (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: बोलने दीजिए मतलब...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ये कितनी गंभीरता से ले रहे हैं... (व्यवधान)... यह तमाशा नहीं है... (व्यवधान)... जिस गंभीरता से बात कर रहे हैं... (व्यवधान).... लेट हिम स्पीक...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: वहां हो रहा है.... (व्यवधान)... मंत्री जी ... (व्यवधान).. पूरे विषय की गंभीरता को छुपाने की बात कही गई है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बातों में नहीं...(व्यवधान)... देखिए गंभीरता से उत्तर दे रहे हैं ... (व्यवधान).... ऐसा नहीं है... (व्यवधान)... किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बचना चाहते ... (व्यवधान)... यहां तक कह दिया है कि अगर इस स्टेटमेंट को लेकर कोई गलतफहमी होती है तो उसके लिए खेद है, उसके लिए क्षमा बोला है...(व्यवधान)... यह सब कुछ कहा है, इसके बाद आप क्या चाहते हो ... (व्यवधान)... आप बैठ जाइए, अब आगे बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है..... (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: आगे जानना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री अर्जुन सिंह: आप यहीं बात करना चाहते हैं या मुम्बई में करना चाहते हैं?

श्री संजय निरुपम: थोड़ी बात यहां करूंगा, बाकी मुंबई में।

श्री सभापति: थोड़ी बात रास्ते में भी करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, यहां की बात तो यहां सुन लीजिए। 16 जुलाई को मैं मुम्बई दूसरे कार्य से जा रहा हूं, आप वहां पधारे, महाराष्ट्र सरकार से इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपको भी उस चर्चा में शामिल करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी लेना चाहेंगे। जहां तक यह मीन-मेख निकालना कि यह कुपोषण है या किसी रोग की कोई बात है तो मैं जानता हूं कि दोनों के बीच में बहुत बारीक लाइन होती है। सदैव इसी लाइन के, इस पार या उस पार रहने की बात को सामने रखकर सरकारें फैसला करती आई हैं। कोई भी सरकार में रहे, हमने वक्तव्य सुने हैं सुषमा जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में उनकी जो संवेदनशीलता है, उसका सम्मान करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इसे उस आधार पर, इस लाइन या उस लाइन के पार वाली बात समझकर नहीं करेंगे। हम इस बात की गंभीरता को और समूचा शासन तंत्र इसमें किस हद तक

कारगर हो सकता है, उस पृष्ठभूमि में इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने इस पहलू को भी छुआ था। इस चीज पर इतनी ही गहराई से विचार करके हम कोई रास्ता भी निकालना चाहेंगे, जो अकेले हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। लेकिन सवाल विभाग का नहीं है, यह जिम्मेदारी शासन और समाज की है। इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि इन सब बातों पर विचार करने के बाद यदि आप उचित समझें, इस विषय पर एक जनरल डिबेट कराने का औचित्य समझें, तो एक जनरल डिबेट भी रखिए ताकि उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिले, हर विभाग को अपनी बात सामने लाने का मौका मिले और एक समन्वित प्रयास करने की दिशा में हम आगे कुछ कदम उठा सकें, इसके लिए प्रार्थना है।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर बहुत ज्यादा बहस का कोई अर्थ नहीं है। हमारी सीधी-सी मांग थी कि महाराष्ट्र में पिछले एक साल में नौ हजार आदिवासी बच्चों की मृत्यु हुई है। इस पूरे मामले की एकदम गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जांच के संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, कोई वचन नहीं दिया गया, कोई आश्वासन नहीं है। इस आधार पर सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ, हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। धन्यवाद।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गए)

श्री राजू परमार (गुजरात): संजय जी, आप तो वहां जाकर बोलिए ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: आप तो बैठ जाइए... (व्यवधान)... आप बैठ जाइए ..... (व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch  
at eleven minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

श्री एस० एस० अहलुवालिया: सर, गृह मंत्री जी ने आना था 2.00 बजे।

श्री सभापति: आ रहे हैं, रास्ते में हैं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: कोई कार्रवाई और नहीं है न?

श्री सभापति: है न, प्राइवेट मैम्बर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: वह तो 2:30 बजे है, सर।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उसका समय 2:30 बजे है। गृह मंत्री जी का करो इंतजार। एक नई चीज आ गई, प्रतीक्षा गृह मंत्री की। इस समय की कार्यवाही यही है।

श्री सभापति: आ रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रतीक्षा गृह मंत्री की।

श्री सभापति: और कोई प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: किससे पूछ लें?

श्री एस० एस० अहलुवालिया: सुरेश जी हैं वे बताएंगे।

श्री सभापति: सुरेश जी जवाब दें देंगे हाऊस को।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: नहीं आए हैं तो फिर सदन को ऐडजर्न कर दीजिए। नहीं आए तो फिर सदन की कार्यवाही तो 2:30 बजे तक चल नहीं सकती है, इसलिए सदन को ऐडजर्न कर दीजिए।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, वे आ रहे हैं।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आपसे आग्रह किया था कि 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने के लिए वे गए हैं और उनके यहां आने की पूरी संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे रास्ते में ही होंगे और थोड़े ही समय में हमारे बीच में आ जाएंगे। मैं उस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तब तक के लिए स्थगित कर दीजिए।

डॉ० (श्रीमती) नबमा ए० हेपतुल्ला (राजस्थान): सभापति जी, अभी समय है और जैसा कि आपने कहा कि कोई और बात कर लें। सर, माल-न्यूट्रिशन, जिस पर वाक आऊट हुआ, उस पर वाक आऊट सबने गुस्से में किया। समस्या का समाधान मंत्री जी ने नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन में 9000 बच्चे मर गए तो उनके लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। वे 16 तारीख को जाएंगे, तब तक बच्चे मरते रहेंगे?

श्री सभापति: और कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं इस मामले में?

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): सभापति महोदय, निवेदन यही है, जैसा कि अभी नजमा जी ने कहा, यह एक ऐसी समस्या है जिस पर पूरे सदन को चिंता है, इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए। इसमें संवेदनशीलता की बात आती है। बच्चे महाराष्ट्र में हैं, अगर माल-न्यूट्रिशन से उनकी मृत्यु हुई है या देश के दूसरे हिस्सों में हैं तो जैसे पहले इस पर चर्चा हुई, सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, वह केवल महाराष्ट्र तक सीमित था। देश के अन्य भागों के अंदर, उड़ीसा के अंदर ऐसी शिकायतें हैं, दूसरे हिस्सों से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से भी हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान) ... यह एक ऐसी बात है जिस पर सदन के सब लोगों की एक ही आम राय होगी, एक ही सहमति होगी कि इस पर एक ... (व्यवधान) ...

श्री दिनेश त्रिवेदी (पश्चिमी बंगाल): लोग मर रहे हैं। ... (व्यवधान) ... माल-न्यूट्रिशन सबका हो रहा है। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, ये क्या कह रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री आनन्द शर्मा: मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो। जैसा मानव संसाधन मंत्री ने ... (व्यवधान) ... सरला जी, एक मिनट ... (व्यवधान) ... देखिए, यह दो महिलाओं की बात ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सदन में पिछले 50 वर्षों में यह अदभुत दृश्य आज उपस्थित हुआ है कि पूरा सदन गृह मंत्री की प्रतीक्षा कर रहा है और कोई कार्यवाही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है।

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह सदन का अपमान है।

श्री आनन्द शर्मा: सुषमा जी, मैं कुछ कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय के माध्यम से और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने उस समय सुरेश जी से कहा था ... (व्यवधान) ...

श्री एस० एस० अहलूवालिया: थोड़ी देर पहले आप उस पर संवेदनशीलता दिखा रहे थे और अब मैं बात उठा रहा हूँ तो आप व्यवधान डाल रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने उस समय कहा था कि 12:30 बजे अगर आप कह रहे हैं तो 2:00 बजे आप आएंगे क्या? ... (व्यवधान) ... यह सदन की अवमानना है। ... (व्यवधान) ...

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा था। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह पहली बार है। 50 वर्ष में पहली बार है। ... (व्यवधान) ...

[9 July, 2004]

RAJYA SABHA

श्री आनन्द शर्मा: जिस समय सदन में इस पर चर्चा हो रही थी तो हम वाक आऊट कर गए और नजमा जी भी वाक आऊट कर गई। महाराष्ट्र की बात थी ...(व्यवधान)...

श्री एस० एस० अहलूवालिया: इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी कि सदन इसी तरह बैठा रहे।

श्री आनन्द शर्मा: राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: हाऊस ऐडजार्न कीजिए आप। ...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, अब और कोई मार्ग नहीं है, सदन को आप ऐडजार्न करें और मंत्री महोदय सदन की अवमानना ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: मैं जब तक अपनी बात पूरी करूंगा, मंत्री महोदय आ जाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई एजेंडा नहीं है, कोई पेपर नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: एजेंडा तो है सुषमा जी। जो विषय पहले लिस्टेड था, उसी पर बात हो रही है ...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: यह सदन का सर्वथा अपमान है और कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता ...(व्यवधान).... आप हाऊस ऐडजार्न करिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at five minutes past two of the clock.

The House re-assembled at twenty minutes past two o'clock.

[Mr. Chairman in the chair]

### STATEMENT BY MINISTER

#### Dissolution of Assembly of Arunachal Pradesh

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी, आपको पहली बार इस तरह सदन को स्थगित करना पड़ा है गृह मंत्री जी नहीं आए, इसलिए इसका नोटिस लेना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): श्रीमन, पहले तो मैं सदन का और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा एकोमोडेट किया। मगर उससे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं कि लोक सभा और केबिनेट के दूसरे कार्यों की वजह से मुझे यहां आने में देर हुई।

Sir, I am making the statement. As per the existing constitutional provision, the total number of Ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in the States were to be brought down to fifteen per